न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2021

प्रार्थीगण	अप्रार्थी
1. जेठीबाई पत्नी नाथुलाल उर्फ नाथुडा 2. लाल चन्द पुत्र नाथुलाल उर्फ नाथुडा जातियान बागरी निवासीग ए ण रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।
2. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 27.01.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर के पुराने खसरा नबंर 141 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 158 रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नबंर 159 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 240/3 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी धर्मा, सोनीया, रामजीडा, पानिया पिसरान उका तथा नाथुडा, देवला पिसरान जेठा कौम बागरी साकिन देह खातेदार दर्ज थी। मौजा रतनपुर तहसील रानीवाडा के पुराने खसरा नबंर 141 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी द्वितीय के वर्तमान खसरा नबंर 365 रकबा 4.23 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय तथा खसरा नबंर 158 रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी के वर्तमान खसरा नबंर 390 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी तथा खसरा नबंर 159 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय के वर्तमान खसरा नबंर 389 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 391 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय तथा खसरा नबंर 240/3 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम के वर्तमान खसरा नबंर 291 रकबा 0.91 हैक्टेयर किस्म चाही उत्तम जाव उत्तम, खसरा नबंर 393 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 396 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नबंर 397 रकबा 0.87 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, जाव उत्तम, खसरा नबंर 398 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 399 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नबंर 400 रकबा 0.94 हैक्टेयर किस्म चाही उत्तम जाव उत्तम बने, तथा मौजा रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर के पुराने खसरा नबंर 141 रकबा 26 बीघा किस्म बाराजी द्वितीय, ख[illegible] 158 रकबा 11 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नबंर 159 रकबा 7 बीघा [illegible] किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 240/3 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा किस्म [illegible] प्रथम की खातेदारी धर्मा, सोनीया, रामजीडा, पानिया पिसरान उका तथा नाथुडा, [illegible] पिसरान जेठा कौम बागरी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

से दर्ज थी। उपरोक्त खातेदारों में नाथुडा, देवला पिसरान जेठा बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थे।

2. प्रार्थीगण नाथुडा पुत्र जेठा के पुत्र व पत्नि है तथा प्रार्थी लालचंद के जेठा दादा लगता था तथा जेठीबाई के जेठा ससूर लगता था। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता/ पति नाथुडा वल्द जेठा का पुरानी जमाबंदीयों में इन्द्राज था तथा पुश्तेनी रूप से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त आराजी पर है। प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेज यथा वोटर कार्ड तथा अन्य दस्तावेज व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थीगण के पिता/पति नाथुडा वल्द जेठा का संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त खसरा नबंरान की आराजी में नाथुडा पुत्र जेठा का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था लेकिन राजस्व कर्मियों ने लिपिकीय त्रुटि करके नाथुडा पुत्र जेठा का राजस्व रेकर्ड में से नाम हटा कर बाबुडा पुत्र जेठा कर दिया जो राजस्व रेकर्ड में त्रुटि करके राजस्व कर्मियों ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर राजस्व रेकर्ड में त्रुटि की है, जो कि काबिल शुद्वि है। राजस्व रेकर्ड में बाबुडा पुत्र जेठा 1/4 हिस्से की जगह नाथुडा पुत्र जेठा के वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के कारण नाथुडा के वारिसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी सहायता ऋण वगैरा से प्रार्थीगण वंचित रह रहे है।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2021 को पैदा हुआ जब प्रार्थीगण सरकारी कृषि सहायता का पंजियन करवानें हेतु गये लेकिन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होनें के कारण प्रधान मंत्री कृषि सरकारी सहायता में पंजियन नहीं हो सका फिर राजस्व रेकर्ड की नकले मांगी जो अंतिम नकल दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त हुई। उपरोक्त तारीख से प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा रतनपुर तहसील रानीवाडा जिला जालोर के पुराने खसरा नबंर 141 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी द्वितीय के वर्तमान खसरा नबंर 365 रकबा 4.23 हैक्टेयर तथा खसरा नबंर 158 रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी के वर्तमान खसरा नबंर 390 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी तथा खसरा नबंर 159 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय के वर्तमान खसरा नबंर 389 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय खसरा नबंर 391 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय तथा खसरा नबंर 240/3 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम के वर्तमान खसरा वर्तमान 291 रकबा 0.91 हैक्टेयर किस्म चाही उत्तम, जाव उत्तम, खसरा नबंर 393 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नबंर 395 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 396 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मूमकिन सडा, खसरा नबंर 397 रकबा 0.87 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, जाव उत्तम, खसरा नबंर 398 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 399 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नबंर 400 रकबा 0.94 हैक्टेयर किस्म चाही उत्तम, जाव उत्तम में राजस्व त्रुटि को शुद्व कर बाबुडा पुत्र जेठा 1/4 हिस्सा जाति बागरी की जगह नाथुडा पुत्र जेठा के वारिसानों जेठी बाई व लालचंद का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने तथा राजस्व त्रुटि को शुद्व करने का आदेश फरमावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि[illegible] ज[illegible]र अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब [illegible] किया गया, जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत 2028–2031 के खाता संख्या 75 में सहखातेदार नाथूड़ा, देवला पि. जेठा वागरी दर्ज है। व जमाबंदी संवत 2031 से 2035 के खाता

संख्या 79 में बाबूड़ा, देवला पि. जेठा कौम बागरी दर्ज हुआ है। इस प्रकार नाथूड़ा से बाबूड़ा अशुद्व(गलत) दर्ज हुआ है जों 2031 से आज तक अशुद्व आ रहा है। अतः ग्राम रतनपूर के खाता संख्या 82 के कुल खसरे 12 रकबा 8.85 हेक्टेयर में सहखातेदार बाबुड़ा पुत्र जेठा 1/4 के स्थान पर नाथूड़ा पुत्र जेठा 1/4 हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार करने की अनुशंषा की जाती है।

5. प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए बतया कि राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के कारण नाथुडा के वारिसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी सहायता ऋण वगैरा से प्रार्थीगण वंचित रह रहे है। अतः मौजा रतनपुर के खाता संख्या 82 में कुल खसरा 12 रकबा 8.85 हैक्टेयर में राजस्व त्रुटि को शुद्व कर बाबुडा पुत्र जेठा 1/4 हिस्सा जाति बागरी की जगह नाथुडा पुत्र जेठा के वारिसानों जेठी बाई व लालचंद का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने तथा राजस्व त्रुटि को शुद्व करने का आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए ग्राम रतनपूर के खाता संख्या 82 के कुल खसरे 12 रकबा 8.85 हेक्टेयर में सहखातेदार बाबुड़ा पुत्र जेठा 1/4 के स्थान पर नाथूड़ा पुत्र जेठा 1/4 किये जाना उचित बताया।

7. हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा के बहस तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व बहस तथ्यों के आधार पर मौजा रतनपुर पटवार हल्का रतनपुर की जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 82 में वर्णित कुल खसरा 12 रकबा 8.850 हैक्टेयर में सहखातेदार बाबूड़ा पुत्र जेठा के स्थान पर नाथूड़ा पुत्र जेठा का नाम संशोधन करना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

8. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा रतनपुर पटवार हल्का रतनपुर की जमाबंदी सवंत 2074–2077 के खाता संख्या 82 में वर्णित खातेदारी खसरान की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती में सहखातेदार का अशुद्व (गलत) नाम **बाबूडा पुत्र जेठा के बजाय नाथूडा पुत्र जेठा** के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर